रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003–05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 16—जून 22, 2019, शनिवार/ज्येष्ठ 26—आषाढ़ 1, 1941
No. 25] NEW DELHI, JUNE 16—JUNE 22, 2019, SATURDAY/JYAISTHA 26—ASADHA—1, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई, 23 मई, 2019

का.आ. 984.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (4) और धारा 30 की उप-धारा 2(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार दिनांक 30.06.1984 के परमाणु ऊर्जा (खानों व खनिजों का कार्य एवं विहित पदार्थों का प्रहस्तन) नियमावली 1984 में निम्नलिखित नियमों में एतद्वारा संशोधन करती है :

2. (i) इन नियमों को परमाणु ऊर्जा [(खानों व खनिजों का कार्य एवं विहित पदार्थों का प्रहस्तन) संशोधन] नियमावली, 2019 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम पूरे भारत समेत उसके राज्य क्षेत्रीय समुद्री सीमा पर लागू होंगे।

(iii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

3. उपरोक्त नियम के खंड 4(2) में निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

4(2) **"प्रत्येक आवेदन के साथ रुपये पांच हजार का शुल्क देना होगा जो कि अप्रतिदेय होगा।"**

[फा. सं. 7/3(19)/2010-पीएसयू/6456]

एस. मर्विन एलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai, the 23rd May, 2019

S.O. 984.—In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 14 and sub-section 2(1) of Section 30 of the Atomic Energy Act, 1962(33 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Atomic Energy (Working of Mines and Minerals and Handling of Prescribed Substances) Rules 1984 dated 30.06.1984 namely:

2. (i) These rules may be called Atomic Energy [(Working of the Mines, Minerals and Handling of Prescribed Substances) Amendment] Rules, 2019.

(ii) These rules extend to the whole of India including her territorial waters.

(iii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the said rules Clause 4(2), the following rule shall be substituted, namely:-

4 (2) **"Every application shall be accompanied with a fee of rupees Five Thousand which will be non-refundable".**

[F. No.7/3(19)/2010-PSU/6456]

S. MERVIN ALEXANDER, Jt. Secy.